आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
	–:आदेश:–	

अभिलेख उपस्थापित।

20.12.2024 राष्ट्रीय खाद्य आयोग पोर्टल **https:jharkhandsfc.ln/admin/dashboard/dashboard_dgro.php** पर शिकायतकर्त्ता **राजेश चौधरी, ग्राम–बारा जोरी, पो0–जोरी, जिला–चतरा** द्वारा कार्ड सं0–202007386111 को जॉच कर रद्द करने के संबंध में शिकायत दर्ज की गयी है। प्राप्त शिकायत के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा से प्रतिवेदन की मांग की गई। तद्नुसार प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, हंटरगंज के पत्रांक–198, दिनांक–04.12.2024 से प्राप्त जॉच प्रविवेदन के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक–1043/आ0, दिनांक–20.12.2024 द्वारा जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, हंटरगंज के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राशन कार्ड सं0–202007386111 (AAY) में परिवार का एक सदस्य सरकारी सेवा में है, लेकिन कार्ड में नाम अंकित नहीं है। राशन कार्ड की अहर्त्ता रखते है। शिकायतकर्त्ता के साथ आपसी लड़ाई चल रही है।

अतः शिकायतकर्त्ता द्वारा राशन कार्ड सं0–202007386111 को रद्द करने की शिकायत को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, हंटरगंज एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में राशन कार्ड को सही बताया गया है एवं उसे रद्द नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में शिकायतकर्त्ता को सूचित करें। अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
चतरा।

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
चतरा।